पटना में दिनांक–21 जनवरी, 2020 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये:–

स्वास्थ्य विभाग

2.	डा० अशोक कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक, सर्जरी विभाग, (किडनी ट्रांसप्लांट इकाई), पटना मेडिकल कॉलेज, पटना को पाँच वर्षों से अधिक अवधि तक सेवा से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के कारण बिहार सेवा संहिता के नियम 76(ख) के तहत सेवा से बर्खास्त (Dismiss) करने के संबंध में।	2.	स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

3.	श्री रामचन्द्र गुप्ता, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा सम्प्रति तकनीकी सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सासाराम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) (संशोधन) नियमावली 2007 के नियम–14(xi) के तहत सेवा से बर्खास्त की शास्ति अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव पर स्वीकृति के संबंध में।	3.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

4.	राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप उदभूत बकाया भुगतान हेतु विभागीय संकल्प संख्या 591 दिनांक–06.03.2019 में आंशिक संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	4.	स्वीकृत।

विधि विभाग

5.	दरभंगा न्यायमंडल अंतर्गत अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय, बिरौल में 15 कोर्ट भवन (G+4), 180 कैदी हाजत एवं एमेनिटी भवन का निर्माण के निमित्त कुल रू० 35,41,90,000/–(पैंतीस करोड़ एकतालीस लाख नब्बे हजार) रूपये प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति।	5.	स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

6.	राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं हेतु बिहार आकस्मिकता निधि से ₹150.00 करोड़ (एक सौ पचास करोड़ रूपये) अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में।	6.	स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

7.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना–II के अन्तर्गत अररिया जिले के सिकटी प्रखण्ड में अनुमोदित पथ पैकेज सं०–BR01P2R-14, T05-नेपाल सीमा झाला चौक से जागीर परासी अंतिम सीमा पथ (45 किलोमीटर) की अनुरक्षण सहित प्राक्कलित राशि ₹37.6526 करोड़ (केन्द्रांश : राज्यांश =₹21.0164 करोड़ : ₹16.6362 करोड़) के विरूद्ध प्रशासनिक अनुमोदन के संबंध में।	7.	स्वीकृत।

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

8.	पटना संग्रहालय, पटना के वर्त्तमान भवन का उन्नयनीकरण एवं विस्तारीकरण के साथ नई दीर्घाओं के संयोजन एवं वर्त्तमान भवन में स्थित दीर्घाओं के पुनर्संयोजन हेतु भवन निर्माण विभाग के द्वारा उपलब्ध कराये गये तकनीकी अनुमोदित राशि ₹158.00 (एक सौ अंठावन करोड़ रूपये मात्र) की स्वीकृति।	8.	स्वीकृत।